

क,

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक/सचिव

अपेक्स इन्स्टीट्यूट आफ मैनेजमेन्ट स्टडीज एण्ड रिसर्च,
परतापुर बाईपास रोड, मेरठ।

पत्रांक: निजी बीटीसी/अनु०- / 8760-63 / 2015-16 दिनांक 30 मार्च 2016

विषय-निजी बीटीसी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत स्व वित्तपोषित संकाय सदस्यों के चयन के अनुमोदन के सम्बन्ध में।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक एम.आई.एम.एस.आर./2016/420 पत्र दिनांक 16.03.2016 के सन्दर्भ में एन०सी०टी०ई० नियमावली 2014 के अनुसार नवीन संकाय सदस्य का निजी बीटीसी पाठ्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत संकाय सदस्यो का अनुमोदन दो वर्ष के प्रवेशन पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया जाता है कि एन०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता निरस्त होने की दशा में योग्यता सम्बन्धी सत्यापन असत्य पाये जाने पर तथा अन्य किसी तथ्य का गोपन किया होगा तो अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

01. डा० निधि

प्रवक्ता संस्कृत भाषा

अनुमोदित अभ्यर्थियों के शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्रों का सम्बन्धित संस्था से सत्यापन करा कर सत्यापन की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृ०सं०: निजी. बीटीसी/अनु० / 8760-63 / 2015-16 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चतुर्थ तल, जीवन निधि-II, एल.आई.सी. बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग, अम्बेडकर सर्किल, जयपुर, -302005 (राजस्थान)।
3. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, मेरठ।

श्रीमती(नीना श्रीवास्तव)
सचिव

परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।